

फारम - 2

नियम 18(1) द्रष्टव्य

जारी किया गया

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या : 331


दिनांक : 30.12.14

दि होम
पुस्तक नं 126, इन्दिरा प्लेस, हिन्, राँची को

झारखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, राँची।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदधीन बनी नियमावली के अधीन इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 200 (टोर्स) कामगारों के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है।

(क) स्थापना में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप :- विनिर्माण के सङ्ग्रहण ।



स्थापना में किये जानेवाले :-

कार्य का स्वरूप
जिसमें ठेका मजदूर
नियोजित हैं या नियोजित
किये जायेंगे।

हरेक ठेकेदारों के माध्यम
से किसी भी दिन
नियोजित किये जानेवाले
ठेका मजदूर की
अधिकतम संख्या।

ठेका मजदूरी
नियोजन के
संबंध में
अन्य व्यौरें।

1.

2.

3.

4.

आवश्यकता अनुसार

Santosh Kumar Jaiswal

रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) अधि०
1970, राँची
रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
हस्ताक्षर एवं मुहर